झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा

एकादश (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 20.03.2023 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी स0वि0स0	गढ़वा जिला के काण्डी प्रखण्ड अन्तर्गत पथ निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2018-2019 में श्रीनगर से काण्डी मझिऑंव होते गढ़वा तक 40 कि0मी0 रोड की स्वीकृति दी गई है, तथा कार्य भी चालू है, परन्तु संवेदक द्वारा कार्य प्राक्कलन के अनुसार नहीं कराया जा रहा है, तथा कुछ ग्रामों के पास अधूरा छोड़ दिया गया है, जिससे आवगमन बाधित हो रही है। अतः सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि संवेदक द्वारा प्राक्कलन के अनुसार कार्य नहीं किये जाने तथा अधूरा कार्य पूर्ण नहीं किये जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा उनका भुगतान रोक के रखा जाए।	पथ निर्माण
02-	श्री रामचन्द्र सिंह, स0वि0स0 श्री प्रदीप यादव स0वि0स0	जल संसाधन विभाग के करीब 200 कनीय अभियन्ताओं (असैनिक एवं यांत्रिक) को विभागीय ज्ञापांक- 1800 एवं 1801, दिनांक- 25.03.2022 के द्वारा सभी कनीय अभियन्ताओं को प्रभारी सहायक अभियन्ता का चालू प्रभार दिया गया था साथ ही उन्हें नियमित सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति देने हेतु विभाग द्वारा सबों का अभिलेख एवं वार्षिक चारित्री उपलब्ध कराने की माँग की गई थी।	जल संसाधन

01.	02.	03.	04.
		विभाग के आदेशानुसार सभी अभिलेख एवं वार्षिक चारित्री उपलब्ध कराने के बाद भी अबतक नियमित प्रोन्नति नहीं दी गई है। अतः मैं जल संसाधन विभाग के प्रभारी सहायक अभियन्ताओं के समय सीमा के अन्दर यथाशीघ्र नियमित सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति मिले इस हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	
03-	श्री जयप्रकाश भाई पटेल स0वि0स0 श्री कोचे मुंडा स0वि0स0 श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता स0वि0स0	हजारीबाग क्षेत्राधीन तापिन साउथ बहेरा कोल डम्प लोकल सेल एवं JSMDC के द्वारा सी0सी0एल0 प्रबंधन हजारीबाग, जिला प्रशासन, जिला एवं स्थानीय पुलिस प्रशासन को हो रहे अवैध आर्थिक लाभ को छिपाने के लिए एक ओर महाप्रबंधक चरही द्वारा सेल एवं डम्प को बन्द कर दिया जाता है तथा बिना वार्ता के पुनः चालू कर दिया गया जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोष व्याप्त था जिसके निराकरण हेतु प्रजातांत्रिक तरीके से अपने 6 सूत्री मांगो को लेकर विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा के बैनर तले दिनांक-10/08/2022 से लगभग 187 दिनों तक लगातार चल रहे आन्दोलन (धरना स्थल) पर सुनियोजित षड्यंत्र के तहत् दिनांक-20/02/2023 को दिन के करीब 12:30 बजे सी0सी0एल0 प्रबंधन द्वारा अपने पालतू, गुर्गो, असामाजिक तत्वों तथा रैयत विस्थापित मोर्चा के राम किशोर मुर्मू एवं मन्नु टुड्डू के नेतृत्व में घातक हथियारों के साथ एकाएक हमला कर दिया गया जिससे कई आन्दोलनकारियों एवं महिलाओं को गम्भीर चोटें आयी है जिनका ईलाज सदर हॉस्पिटल हजारीबाग में चल रहा है साथ ही उनके मोबाईल एवं जेवरात भी छीन लिये गये हैं तथा घटना स्थल पर लगाये टेन्ट एवं खाद्यान्य को आग के हवाले कर दिया गया, इसके	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन

कृ0पृ030-

01.	02.	03.	04.
		बावजूद पुलिस उपाधीक्षक अनुज उराँव, पुलिस निरीक्षक महेन्द्र प्रताप सिंह के द्वारा अपने हाथों से खड़ी वाहनों को लाठी-डंडे एवं ईट पत्थरों से मारकर क्षतिग्रस्त कर वाहनों को जब्त कर लिया गया है। ज्ञात हो कि कोयले की अवैध तस्करी एवं उसके होने वाले आर्थिक लाभ में रुकावट न हो इसलिए सी0सी0एल0 प्रबंधन, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन हजारीबाग, पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस निंरीक्षक तथा स्थानीय थाना प्रभारी की मिलीभगत से मारपीट एवं आगजनी कराकर लम्बे अवधि से चलाये जा रहे शांतिप्रिय आन्दोलनकारियों पर केस दर्ज कर मुकदमा चलाया जा रहा है जिससे आन्दोलनकारी भयभीत एवं सशंकित हैं। अतः मैं इस दिशा में सदन से सम्पूर्ण घटना की समुचित जाँच कराकर दोषियों के विरूद्ध दण्डनात्मक कार्रवाई करते हुए निर्दोषों को दोषमुक्त कराने हेतु सरकार का ध्यानाकृष्ट करता हूँ।	
04-	श्री कमलेश कुमार सिंह स0वि0स0	विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल, धुर्वा, राँची के कार्यालय से 65 लाख 22 हजार 649 रुपए की एक निविदा प्रकाशित की जाती है, जिसकी संख्या Energy/ EWD/ Ranchi/ 81/2022-23, दिनांक-30.01.2023 है, में पलामू जिला अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हुसैनाबाद में वर्कशॉप भवन में विद्युत अधिष्ठापन एवं परिसर में सुरक्षा लाइट एवं हाई मास्ट लाइट के अधिष्ठापन से संबंधित कार्य से है। आपको विदित हो कि निविदा के प्रकाशन के पूर्व से ही विद्युत अधिष्ठापन के कार्य प्रारंभ करा दिए गए और निविदा खुलने की तिथि- 15.02.2023 तक लगभग 80% कार्य पूर्ण भी करा दिए गए इस संदर्भ में दैनिक समाचार पत्र में ''निविदा खुलने के पहले ही हो गया 80% कार्य'' नामक शीर्षक से दिनांक- 20.02.2023	ऊर्जा

क्र0पृ0उ0

01.	02.	03.	04.
		को प्रकाशित खबर की छायाप्रति आपके सुलभ अवलोकनाथ संलग्न है। मैं उक्त ध्यानाकर्षण के माध्यम से निविदा प्रकाशन के पूर्व से संवेदक द्वारा प्रारंभ कराए गए कार्य तथा निविदा संपादन से पूर्व ही लगभग कार्य की समाप्ति कराने के संदर्भ में संवेदक और ऊर्जा विभाग के अभियंता/अधिकारियों की मिलीभगत की जाँच कराकर तद्नुसार आवश्यक कार्रवाई करने की ओर' सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।	
05-	श्री नवीन जायसवाल स0वि0स0 श्री बिरंची नारायण स0वि0स0	जैसा कि हम सभी जानते है कि झारखण्ड राज्य में राज्य के गृह रक्षकों (होमगार्ड जवानों) का कार्य काफी महत्वपूर्ण एवं सहरानीय है। राज्य के गृह रक्षक हमेशा अपने कार्य एवं दायित्व के प्रति समर्पित रहते है। परन्तु वर्त्तमान में राज्य के गृह रक्षकों को उनके दायित्व के प्रति जो मानदेय मिलता है वे काफी कम है। आज के इस मंहगाई के दौर में इन्हे मात्र 500 रू0 प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय का भुगतान किया जाता है। इस अल्प मानदेय का भुगतान के कारण गृह रक्षकों को अपने घर परिवार चलाने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में L.P.A N0-272/2018 के वाद में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय ने आदेश संख्या-11 दिनांक- 12.01.2023 को न्यायादेश पारित करते हुए झारखण्ड सरकार को यह निर्देश दिया है कि झारखण्ड राज्य के गृह रक्षकों को पुलिस कर्मियों के अनुमान्य मूल वेतन एवं अन्य भत्ते के अनुरुप समान कार्य का समान वेतन का लाभ दिया जाय। परन्तु माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय एवं भारत सरकार के निर्देश के बावजूद राज्य के गृह रक्षकों को समान कार्य का समान वेतन के लाभ से वंचित रखा गया है।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन

कृ0पृ0उ0

01.	02.	03.	04.
		झारखण्ड राज्य में राज्य के गृह रक्षकों को ना तो चिकित्सा सुविधा, ना ही कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ और ना ही सप्ताहिक छुटी मिलती है जबकि पड़ोसी राज्य बिहार में वहाँ के गृह रक्षकों को सभी तरह के समाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। अतः सदन के माध्यम से राज्य के गृह रक्षकों को पुलिस कर्मियों के अनुमान्य मूल वेतन एवं अन्य भत्ते के अनुरूप समान कार्य का समान वेतन का लाभ देने हेतु मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा।	

राँची,
दिनांक- 20 मार्च, 2023 ई०।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं०-प्र०ध्या०-01/2023-...1392.../वि० स०, राँची, दिनांक-19/03/23

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा०सदस्यगण/ मा०मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/सचिव, पथ निर्माण विभाग/सचिव, जल संसाधन विभाग/सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग एवं सचिव, ऊर्जा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

रंजीत कुमार
19/3/2023
(रंजीत कुमार)
संयुक्त सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं०-प्र०ध्या०-01/2023-...1392.../वि० स०, राँची, दिनांक-19/03/23

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा० अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

रंजीत कुमार
19/3/2023
संयुक्त सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

19/03/2023